बिहार सरकार,
मानव संसाधन विकास विभाग।

संकल्प

विषय :– **राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में पूर्व सेवाकालीन एक वर्षीय बी0 एड0 कोर्स में प्रशिक्षुओं के नामांकन तथा महाविद्यालय के संरचना के विकास हेतु मार्गदर्शिका ।**

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के निर्धारित मानकों के आलोक में राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में पूर्व सेवाकालीन एक वर्षीय बी. एड. कोर्स में प्रशिक्षुओं के नामांकन का निर्णय लिया गया है। जिसके लिये निम्नांकित शर्तों का निर्धारण किया गया है :–

i. नामांकन हेतु संबंधित प्रशिक्षण संस्थान /महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कर एक माह का समय देते हुए इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन–पत्र प्राप्त किया जायेगा।

ii. नामांकन हेतु सामान्य अभ्यर्थियों की न्युनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक में 45 प्रतिशत अंकों की होगी, जिसमें आरक्षित कोटि / निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए 5 प्रतिशत की छूट होगी।

iii. प्रतिदिन प्राप्त आवेदन पत्रों को इस कार्य के लिये निर्धारित एक पंजी में संधारित किया जायेगा तथा आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि को प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित कर बंद कर दिया जायेगा एवं उसे अधिकतम तीन दिनों के अंदर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित करा लिया जायेगा।

iv. संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत सीट के लिए आवेदन प्राप्त किया जायेगा।

v. नामांकन में राज्य के आरक्षण नियम का पालन किया जायेगा तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के वर्त्तमान नियम / परिपत्र आदि का पालन आवश्यक होगा।

vi. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा कुल स्वीकृत सीटों में से 3 % (तीन प्रतिशत) निःशक्त अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित होगा। निःशक्त अभ्यर्थियों के लिये क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण लागू होगा।

vii. शेष 97 सीटों का बँटवारा विषयवार निम्न रूप से ।केया जाय और मेधा सूची तैयार करते समय इसका ध्यान रखा जाय।

क्रमांक	विषय	संख्या (प्रति 100 में)
1	हिन्दी	8
2	अंग्रेजी	8
3	गणित	8
4	भौतिकी	7
5	रसायन शास्त्र	7
6	जीवविज्ञान	8
7	इतिहास	5
8	भूगोल	4
9	उर्दू/फारसी/अरबी	6
10	संस्कृत	4
11	अर्थशास्त्र	5
12	वाणिज्य	8
13	राजनीतिशास्त्र	5
14	मनोविज्ञान	3
15	समाजशास्त्र	3
16	दर्शनशास्त्र	2
17	सांख्यिकी	2
18	गृहविज्ञान	2
19	मैथली /बंगला	2
	कुल	97

viii 3 % अभ्यर्थियों का नामांकन उनकी योग्यता वाले विषय में हीं होगा और वह उक्त में से कोई विषय हो सकता है।

2. नामांकन हेतु प्राप्त आवेदनों में से योग्य अभ्यर्थियों का चयन का कार्य एक समिति के द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्नांकित पदाधिकारी रहेंगे :–

i. संबंधित शिक्षण संस्थान महाविद्यालय के प्राचार्य

ii. क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक

(59) (276)

iii. संबंधित शिक्षण संस्थान महाविद्यालय के वरीय व्याख्याता – सदस्य सचिव

iv. जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा मनोनित शिक्षा विभाग के अनुसुचित जाति / जनजाति का एक पदाधिकारी – सदस्य

v. राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् के संकाय सदस्य अथवा शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय के पदाधिकारी/प्रतिनिधि – सदस्य

vi. संस्थान/महाविद्यालय, जिस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है उस विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा नामित एक प्राध्यापक – सदस्य

उपर्युक्त (v) के संबंध में निर्णय शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा संसूचित किया जायेगा।संस्थान के प्राचार्य एवं संबंधित क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक में से जो वरीय होंगे वे समिति के अध्यक्ष होंगे एवं दूसरे पदाधिकारी सदस्य होगें।

3. **नामांकन हेतु चयन का आधार**:– स्नातक एवं स्नातकोत्तर में प्राप्त प्राप्तांको के प्रतिशत का औसत निकालते हुए नामांकन हेतु मेघा सूची कोटिवार तैयार किया जायेगा। प्राप्तांको के प्रतिशत का औसत एवं योग्यता समान रहने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।

4. **नामांकन हेतु उम्र सीमा**:– उस वर्ष की पहली जनवरी को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 34 वर्ष होगी। अधिकतम आयु सीमा में अनुसूचित जाति /जनजाति एवं विकलांग (निःशक्त) को पाँच वर्ष, पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिये दो वर्ष तथा महिला अभ्यर्थी (अनुसूचित जाति /जनजाति को छोड़कर) के लिए अधिकतम तीन वर्ष की छूट दी जायेगी। न्यूनतम आयु सबके लिए 21 वर्ष ही होगी।

5. मेघा सूची कोटिवार अलग–अलग तैयार किया जायेगा तथा उसे संबंधित प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय तथा संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी, कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित किया जायेगा।

6. मेघा सूची से नामांकन हेतु सूचना संबद्ध महाविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित किया जायेगा तथा नामांकन हेतु चयनित अभ्यर्थी को निबंधित डाक से भी सूचना भेजी जायेगी और नामांकन हेतु अधिकतम 15 दिनों का समय दिया जायेगा। 15 दिनों की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद मेघा सूची से बचे हुए अभ्यर्थियों को आरक्षण कोटिवार नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी।

7. प्रशिक्षण महाविद्यालयों में भवन मरम्मति, संरचनाओं के विकास, उपस्कर आदि तथा पुस्तकालयों में नई पुस्तकों की उपलब्धता हेतु बजट में कोई प्रावधान नहीं रहने के कारण प्रशिक्षण महाविद्यालयों में इनसे संबंधित कार्य एव कय संभव नहीं हो पाता है। कई अन्य राज्यों में प्रशिक्षण महाविद्यालयों में प्रशिक्षुओं से नामांकन शुल्क लिया जाता है। राज्य के निजी प्रशिक्षण महाविद्यालयों में प्रशिक्षुओं से नामांकन शुल्क के रूप में एक बड़ी राशि ली

जाती है। इन बिन्दुओं पर विचारोपरान्त शुल्क लेने का निर्णय लिया गया ताकि महाविद्यालय अपने स्तर पर भवन मरम्मति के छोटे–छोटे कार्य, संरचनाओं का विकास एवं पुस्तकालयों के लिए नई तथा सामयिक पुस्तकों का कय कर सके।

8. नामांकन हेतु प्रति अभ्यर्थी प्रति वर्ष 8000/– (आठः हजार) रुपयों की राशि शुल्क के रुप में ली जायेगी। अनुसूचित जाति /जनजाति /अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)/निःशक्त के लिए यह राशि 3000/– (तीन हजार रुपये) होगी। यह राशि शिक्षार्थियों के मासिक भोजन एवं आवास शुल्क को छोड़कर रहेगी जिसका विवरण निम्नवत है:–

क्रम	बी॰ एड॰	सामान्य	अनुसूचित जाति /जनजाति
1	नामांकन शुल्क	1000/-	300/-
2	भवन रख रखाव	3500/-	1000/-
3	पुस्तकालय	500	100
4	खेलकुद व्यवस्था	250	100
5	परिचय पत्र / पुस्तकालय कार्ड	100	100
6	प्रयोगशाला	250	100
7	शैक्षिक भ्रमण	300	100
8	कौशन मनी	500	500
9	बिजली / पेयजल	500	200
10	शिक्षण–अधिगम सामग्री	300	100
11	शिक्षण अभ्यास एवं आंतरिक मूल्यांकन	800	400
		8,000	3,000

नोटः– सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पंजीयन शुल्क की राशि नामांकन शुल्क में शामिल है लेकिन सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क परीक्षार्थी से अलग से लिया जायेगा, जो उक्त राशि में शामिल नहीं है। कौशन मनी की राशि प्रवेश के समय ही ली जायेगी जो महाविद्यालय छोड़ने के समय अभ्यर्थी को वापस कर दी जायेगी।

9. छात्रों से प्राप्त शुल्क एवं महाविद्यालय की आय से प्राप्त राशि महाविद्यालय के खाता में जमा किया जाएगा एवं उसका उपयोग महाविद्यालय के विकास में किया जायेगा।

(57) (274)

10.. महाविद्यालय के विभिन्न गतिविधियों के निष्पादन हेतु एक केन्द्रीय समिति गठित की जायेगी जिसमें प्राचार्य के अतिरिक्त छात्रावास प्रभारी, पुस्तकालय प्रभारी, भवन एवं रखरखाव प्रभारी, प्रयोगशाला प्रभारी एवं एक छात्र प्रतिनिधि रहेगें।

11. भवन के रखरखाव हेतु गठित समिति में प्राचार्य के अतिरिक्त भवन रखरखाव प्रभारी, छात्रावास प्रभारी एवं छात्र प्रतिनिधि रहेगें, उक्त समिति जो 50,000/–(पच्चास हजार रू०) से कम की राशि का उपयोग भवन एवं छात्रावास मरम्मति हेतु अपने स्तर से करने का निर्णय लेगी। प्राचार्य सभी सदस्यों के साथ समिति की बैठक कर किये जाने वाले कार्यों पर निर्णय लेगें तथा बैठक की कार्यवाही संधारित की जायेगी। साथ ही मदवार व्यय किये गये राशि की प्रविष्टि एक पंजी संधारित की जायेगी। जिस पर समिति के सभी सदस्यों का हस्ताक्षर रहेगा। भवन मरम्मति में 50,000/–(पच्चास हजार) रू० से अधिक की राशि व्यय होने की स्थिति में जिला में पदस्थापित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग से प्राक्कलन बनावा कर निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण से अनुमति प्राप्त कर उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार खर्च कर सकेगें।

12. भौतिक संरचना यथा कुर्सी, टेबुल, दरी इत्यादि पुस्तकालयों के लिए पुस्तक प्रयोगशाला के लिए सामग्री की व्यवस्था हेतु उपयुक्त समिति 25,000/–(पच्चीस हजार) रू० से कम की राशि का व्यय अपने स्तर से करेगी तथा इससे अधिक की राशि हेतु निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण से अनुमति प्राप्त करेगें।

13. महाविद्यालय के खाता का संचालन प्राचार्य एवं वरीय व्याख्याता के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा तथा प्रतिवर्ष होने वाले आय एवं व्यय की सूचना निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण को उपलब्ध कराई जाएगी।

14. छात्रों के नामांकन के पश्चात एवं उनके अंक पत्र एवं शैक्षिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जायेगा। अंक पत्र/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने की स्थिति में नामांकन रद्द करते हुए उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगीं ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

17.09

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग।

ज्ञापांक.11/व 2–01/2002 1068 / पटना, दिनांक 04/7/108/

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारवाग, पटना को सूचनार्थ एवं अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित तथा 500 प्रतियाँ उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

17.09

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग।

D:\Sanjiv Suman\BED Sanjiv Suman.doc

ज्ञापांक..11/व 2-01/2002 1068 /
पटना, दिनांक 04/7/08,

प्रतिलिपि :- मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव, मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के सचिव बिहार /विकास आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

1.7.08

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग।

ज्ञापांक..11/व 2-01/2002....................../
पटना, दिनांक............................../

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रषित।

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग।

ज्ञापांक..11/व 2-01/2002 1068 /
पटना, दिनांक 04/7/08,

प्रतिलिपि :- सभी प्रमंडलीय आयुत/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला पदाधिकारी /सभी कोषागार पदा0/उप कोषागार पदा0 /सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा अधीक्षक/सभी प्राचार्य, राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रषित।

1.7.08

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग।

D:\Sanjiv Suman\BED Sanjiv Suman.doc